

प्रदूषण से मुक्ति के लिए जारी कार्यसूची

प्रदूषण से मुक्ति के लिये जारी कार्यसूची

पिछले वर्ष दिसम्बर माह में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एनसीआर राज्यों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण के क्रियान्वयन के लिए एक कार्यसूची जारी की। इनमें से कुछ कार्यों को तो क्रियान्वित किया गया परन्तु अधिकतर को मानक बनाकर ही छोड़ दिया गया।

शीघ्र कार्यान्वयन हेतु मानक और स्थिति

- 👉 दृश्य प्रदूषित वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही।
- 👉 अतिरिक्त भार को रोकने के लिए दिल्ली की सीमा के सेतुओं पर भार का आकलन।
- 👉 पार्किंग के लिए अनुपलब्ध क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग को रोकना।
- 👉 बड़े मार्गों पर ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए सचेत प्रणाली।
- 👉 वाहनों की अधिक आवाजाही को कम करने के लिए समय की निश्चितता।
- 👉 मार्गों की संकीर्ण न बनाना।
- 👉 जैव ईंधन, पल्लियाँ, टायरों को जलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही तथा इसकी स्थिति की रिपोर्ट सौंपना।
- 👉 डीजल वाहनों का पार्टिकुलेट पदार्थों के साथ पुनः संयोजन।
- 👉 राज्यों व संघ शसित में असहमति होने की स्थिति में इसकी रिपोर्ट करने के लिये हेल्पलाइन नंबर की सुविधा।
- 👉 निर्माण स्थलों को ढँक कर रखना जिससे धूल पर नियंत्रण किया जा सके।



30 दिनों के अंतर्गत मानक एवं स्थिति

- 👉 गैर प्राधिकृत ईंटों की भट्टियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही।
- 👉 ईंधन स्टेशनों में वाष्प पुनः प्राप्ति तंत्र।
- 👉 राज्य और केंद्र के नियंत्रण कक्षों से जुड़े हुए तंत्रों को कचरे के जलने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना।
- 👉 केवल DG ही यह निर्धारित करेंगे कि विशेष उत्सर्जन को ही अनुमति दी जाए।
- 👉 शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी उत्तर उपलब्ध कराने के लिये उपयुक्त कार्य प्रक्रिया को स्थापित करना।



90 दिनों के अंतर्गत मानक और स्थिति

- 👉 रेस्टोरेंटों, ढाबों, सड़क के किनारे के भोजनालयों में कोयले के स्थान पर एलपीजी का प्रयोग करना।
- 👉 कृषि के व्यर्थ उत्पाद को जलने से रोकने के लिये उपग्रह आधारित निगरानी तंत्र का उपयोग करना।
- 👉 बैटरी चालित वाहनों का उपयोग।
- 👉 खुले स्थानों, सामुदायिक स्थानों, स्कूलों तथा घरों में वृक्ष लगाना।
- 👉 ईंधन स्टेशनों की संकीर्णता को कम करने के लिये कार्य योजना बनाना।
- 👉 ईंधन कर गुणवत्ता को जाँचने के लिये कार्य योजना बनाना।
- 👉 जहाँ तक हो सके बड़े ट्रैफिक चौराहों पर पानी के फव्वारे लगाना।



60 दिनों के अंतर्गत मानक और स्थिति

- 👉 निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध सख्त कदम अठाना।
- 👉 होटलों, रेस्टोरेंटों में कोयले के प्रयोग को बंद करना तथा दिल्ली में खाना पकाने के लिये कैंरोसिन के प्रयोग को रोकना।
- 👉 पश्चिमी और पूर्वी एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करना।
- 👉 उत्सर्जन और धूल को कम करने के लिए तथा वाहनों के सफलतापूर्वक संचालन के लिये टूटी सड़क का न होना।



120 दिनों के अंतर्गत मानक और स्थिति

- 👉 जहाँ तक हो सके उद्योगों द्वारा प्राकृतिक गैस के उपयोग को बंद करने के लिये कार्य योजना तैयार करना।

180 दिनों के अंतर्गत मानक और स्थिति

- 👉 सड़कों की धूल को रोकने के लिये पत्थर की फर्श का निर्माण करना।



